भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3564
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वित्तीय शक्तियां

3564. श्री टी॰ रतिनावेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि अत्यावश्यक वित्तीय शक्तियों के अभाव में कई केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुसार उनकी वित्तीय शक्तियों की समीक्षा/उसमें वृद्धि, एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने विभिन्न बजट शीर्षों के तहत हथियारों एवं गोला-बारूद, उपकरणों, वाहनों एवं अन्य भंडारों की खरीद करने/उसे अनुपयोगी घोषित करने के लिए हाल में दिनांक 02.01.2018, 02.02.2018 और 10.09.2018 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशकों (डीजी) एवं अन्य अधिकारियों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में काफी वृद्धि कर दी है।

इसके अलावा, दिनांक 02.01.2018 को नोडल सीएपीएफ के महानिदेशकों को किसी मद के विनिर्देशनों में संशोधन करने/अनुमोदन करने की शक्ति भी प्रत्यायोजित की गई है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। वास्तव में वर्ष 2018-19 में, सीएपीएफ द्वारा किए गए कुल व्यय के 93% के लिए मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

*****